**उत्तराखण्ड शासन**
**शहरी विकास अनुभाग–03**
**संख्याः 1496/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024**
**देहरादूनः दिनांक 14-दिसम्बर, 2024**

**अनन्तिम अधिसूचना**

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (5) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निगमों में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण एवं आवंटन निम्नवत प्रस्तावित करते है :–

| क्र0सं0 | नगर निगम का नाम | आरक्षण का वर्ग |
|---|---|---|
| 1. | नगर निगम, देहरादून | अनारक्षित |
| 2. | नगर निगम, ऋषिकेश | अनुसूचित जाति |
| 3. | नगर निगम, हरिद्वार | अन्य पिछड़ी जाति (महिला) |
| 4. | नगर निगम, रूड़की | महिला |
| 5. | नगर निगम, कोटद्वार | अनारक्षित |
| 6. | नगर निगम, श्रीनगर | अनारक्षित |
| 7. | नगर निगम, रूद्रपुर | अनारक्षित |
| 8. | नगर निगम, काशीपुर | अनारक्षित |
| 9. | नगर निगम, हल्द्वानी | अन्य पिछड़ी जाति |
| 10. | नगर निगम, पिथौरागढ़ | महिला |
| 11. | नगर निगम, अल्मोड़ा | महिला |

**2–** उपरोक्त नगर निगमों के नगर प्रमुखों के पदों के प्रस्तावित आरक्षण एवं आवंटन पर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है।

**3–** प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62, राजपुर रोड़, निकट पाईन हॉल स्कूल, देहरादून को सम्बोधित करते हुये प्रेषित की जानी चाहिये अथवा मेल आईडी directorudd@gmail.com पर प्रेषित की जानी चाहिए। केवल उन्ही आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त होंगे। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई करते हुये अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय–सीमा के अन्दर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

**संख्याः 1496 (1)/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, तद्‌दिनांक।**

**प्रतिलिपि**–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

**(प्रदीप कुमार शुक्ल)**
उप सचिव।

**संख्याः 1496 (2)/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, तद्‌दिनांक।**

**प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को तीन ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें, जिनका प्रसार उत्तराखण्ड में व्यापक रूप से होता हो, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त होने वाली आपत्ति एवं सुझाव पर निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनवाई करते हुये उनके निस्तारण के संबंध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
7. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम (द्वारा शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(प्रदीप कुमार शुक्ल)**
उप सचिव।